न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
158 / 2019	16.12.2019	25.07.2022

पीठासीन अधिकारी—हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1— जगदीश आत्मज गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1— गंगाराम आत्मज गोबरिया जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

2— हंसराज आत्मज गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

3— योगेन्द्र आत्मज महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

4— प्रियंका पुत्री महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

5— काली बाई बेवा महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

6— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से — श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से— श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न प्रकार पेश किया है:-

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं0 1 व प्रतिवादी नं0 2 के पिता एवं प्रतिवादी नं0 3ता 4 के दादा एवं प्रतिवादी नं0 5 के ससुर है। प्रतिवादी नं0 2 प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र, प्रतिवादी नं0 3 ता 4 पौत्र है व प्रतिवादी नं0 5 के मृतक पुत्र महावीर की संतान है तथा एक ही परिवार के सदस्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि ग्राम महराना तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में निम्न विवरण की कुल की कुल 8 किता की 3.44 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है। जो उनके पिता गोबरिया जी से प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी पेश है।

खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टर
खसरा नम्बर 375 रकबा 0.72 हेक्टर
खसरा नम्बर 411 रकबा 0.80 हेक्टर
खसरा नम्बर 420 रकबा 0.17 हेक्टर
खसरा नम्बर 453 रकबा 0.60 हेक्टर
खसरा नम्बर 458 रकबा 0.49 हेक्टर
खसरा नम्बर 461 रकबा 0.28 हेक्टर
खसरा नम्बर 545 रकबा 0.34 हेक्टर
कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर

यह कि उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के खाते में दर्ज चली आ रही है। जो वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 के तीन पुत्र वादी व प्रतिवादी नं0 2 तथा पुत्र महावीर हुये। प्रतिवादी नं0 1 ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को अपने तीनों पुत्रों को देकर एक हिस्सा अपने पास रखा। जिसे वादी व प्रतिवादीगण शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे है। इस कारण उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 प्रतिवादी नं0 1 के साथ अपना नाम दर्ज करा कर सहखातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

यह कि उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की आजीविका का एक मात्र साधन है तथा वादी की पुश्तैनी भूमि है उक्त भूमि पर वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 4 व प्रतिवादी नं0 1 का शामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी अपने हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार का खाद बीज आदि की ऋण सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है। व काश्त करने में काफी परेशानी आ रही है। उक्त भूमि ही वादी की आजीविका का एक मात्र साधन है।

यह कि उक्त कारण से वादी ने प्रतिवादी नं0 1 को वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराने हेतु दिनलांक 16.12.2019 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ने नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया साथ ही साथ उक्त भूमि को बेचान, खुर्द बुर्द व अन्तरण व हस्तान्तरण करने की धमकी दी।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा , इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने से इन्कार करने पर एवं उक्त भूमि को खुर्द बुर्द बेचान, अन्तरण हस्तान्तरण करने की दिनांक 16.12.2019 को [illegible]ने पर पैदा हुआ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि वाद पत्र की मद नं0 2 में अंकित भूमि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.34 हेक्टर, कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 ता 4 को प्रतिवादी नं0 1 के साथ 1/4,–1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे।

(2) कि स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की पारित की जावे कि प्रतिपक्षी गण वाद पत्र की मद नं0 2 में ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.34 हेक्टर, कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द , बेचान, दान, वसीयत तथा अन्तरण आदि नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। तथा मोके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल जमाबन्दी खाता सं0 39 सम्वत 2074–77 ग्राम महराना

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने बाबत सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया । नकल प्रति वादी अधिवक्ता को दिलवाई गये। सहमति पत्र प्रस्तुत कर कथन निम्न प्रकार किया हैः–

1– यह कि उक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है जिस में आज तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि उक्त वाद में वादी द्वारा खसरा नम्बरान 207, 375, 411, 420, 453, 458, 461, 545 कुल किता 8 रकबा 3.44 हेक्टर भूमि वाके ग्राम महराना को पुश्तैनी भूमि बताकर वादी व प्रतिवादी 2 ता 5 का 1/4– 1/4 हिस्से की घोषणा चाही जाकर प्रार्थी प्रतिवादी के साथ 1/4– 1/4 हिस्से के सहखातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया है।

3– यह कि प्रतिवादी क्रम 1 वादी के उक्त वाद को डिक्री किये जाने व 1/4–1/4 सहखातेदार घोषित होने हेतु न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। वादी का उक्त वादइ डिक्री किये जाने पर वादी की पूर्ण सहमति है। प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 वादी के उक्त वाद को डिक्री किये जाने कि सहमति देता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का उक्त वाद डिक्री किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वादी का वाद डिक्री किये जाने बाबत पर बहस सुनी गयी , प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी गंगाराम की ओर से शपथ पत्र लिया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस पर नियत की गयी।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से शामलाती भूमि में हिस्से अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं प्रतिवादी क्रम 1 की ओर प्रस्तुत सहमति पत्र का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादीगण का सहमति पत्र अनुसार वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.34 हेक्टर, कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि में वादी को 1/4, प्रतिवादी नं0 1 को 1/4, प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 एवं प्रतिवादीगण 3 ता 5 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावे। मुताबिक निर्णय अनुसार पालना बाबत तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:55:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– जगदीश आत्मज गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1– गंगाराम आत्मज गोबरिया जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

2– हंसराज आत्मज गंगाराम जी जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

3– योगेन्द्र आत्मज महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

4– प्रियंका पुत्री महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

5– काली बाई बेवा महावीर जाति मीणा निवासी महराना तहसील दीगोद जिला कोटा

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री बलराम शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती तथा

मिसल नं 158/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम महराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 207 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.80 हेक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.49 हेक्टर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नम्बर 545 रकबा 0.34 हेक्टर, कुल 8 किता की रकबा 3.44 हेक्टर भूमि पर वादी [illegible]/4, प्रतिवादी नं0 1 को 1/4, प्रतिवादी नं0 2 को 1/4 एवं प्रतिवादीगण 3 ता 5 को 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी नं0 1 के साथ वादी, प्रतिवादी नं0 2 ता 5 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जावे। मुताबिक निर्णय अनुसार पालना बाबत तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 25.07.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	थ्मलान	0	0

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:55:57 IST
Reason: SelfAttested